[illegible] पेश हो। मिसल

19/3/18

प्रार्थनापत्र आज न्यायालय में पेश है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 अपीलार्थी वादी गण को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष हर्जा खर्चा दिया गया है। तालीक डिक्री की निष्पादित अदालत की वादी न्यायालय 5 वर्ष हर्जा खर्चा देने का आदेश है। वादी के खाते तिने के बाद आज तक वादी के वाणिज्य रोजगार पर नहीं आये हैं। इसलिए प्रतीत होता है कि वादी अपने कद की प्रार्थना नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है। प्रार्थनापत्री के मुकदमा खर्चा होता दावेदार देहर है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

वादी गण को न्यायालय 5 वर्ष हर्जा खर्चा देना है।

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner